



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

No. 175]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 2006/वैशाख 6, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 2006/VAISAKHA 6, 1928

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2006

सा.का.नि. 255(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) का धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में विभिन्न समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. आरम्भिक गठन : (1) ऐसे कार्मिक को, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(2) आरम्भिक गठन से पूर्व के पदों के संबंध में उपनियम (1) में उल्लिखित कार्मिक की नियमित निरन्तर सेवा की परीक्षा अर्थात्, प्रोन्नति के लिए अर्ह सेवा, सेवा में पुष्टि और पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :	लागू नहीं होता
(i) संयुक्त सचिव —अध्यक्ष	
(ii) उप सचिव —सदस्य	
(iii) अवर सचिव —सदस्य	
(iv) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अवर सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी —सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. हिन्दी अनुवादक	*एक (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों अनुसार के सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन-प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी के साथ हिन्दी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर मुख्य विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी रहा हो। या डिग्री स्तर पर मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी के साथ हिन्दी/अंग्रेजी या किसी अन्य विषय में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री।	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)			
लागू नहीं होता	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी/उर्दू के साथ उर्दू/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर मुख्य विषय के रूप में उर्दू और अंग्रेजी के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में उर्दू/अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी/उर्दू रहा हो। या डिग्री स्तर पर मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी/उर्दू या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी/उर्दू के साथ उर्दू/अंग्रेजी या किसी अन्य विषय में उर्दू/अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री। या बैचलर डिग्री जिसमें उर्दू और अंग्रेजी मुख्य विषय रहे हों या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा मुख्य विषय रहा और साथ ही उर्दू से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद कार्य का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, उर्दू से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता			
(10)	(11)	(12)			
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता			
(13)	(14)				
पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता				
(i) संयुक्त सचिव	—अध्यक्ष				
(ii) उप सचिव	—सदस्य				
(iii) अवर सचिव	—सदस्य				
(iv) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अवर सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी	—सदस्य				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	*दो (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	5000-150 -8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
(7)	(8)	(9)			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता			

(10)	(11)	(12)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	<p><b>प्रोन्नति :</b></p> <p>राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>(प्रोन्नति के पश्चात् इस पद के पदधारी को, यदि उसने पहले रोकड़ और लेखा संबंधी कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है तो सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा संबंधी कार्य का प्रशिक्षण लेना होगा।)</p> <p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार जिसके अंतर्गत लोक उपक्रम भी है; के अधीन ऐसे अधिकारियों से :</p> <p>(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने 5000-8000 रु. या समतुल्य वेतनमान में पांच वर्ष की नियमित सेवा हो</p> <p>या</p> <p>(iii) जिन्होंने 4000-6000 रु. या समतुल्य वेतनमान में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) (i) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p><b>टिप्पणी 1 :—</b></p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ अन्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी 2 :—</b></p> <p>अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थी की दशा में विभागीय प्रोन्नति समिति के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है/ सकती हैं।</p>
(13)	(14)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :		लागू नहीं होता।
(i) संयुक्त सचिव	—अध्यक्ष	
(ii) उप सचिव	—सदस्य	
(iii) अवर सचिव	—सदस्य	
(iv) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अवर सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी	—सदस्य	

1	2	3	4	5	6
6. अनुसंधान सहायक	* तीन (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता।
(i) संयुक्त सचिव	—अध्यक्ष
(ii) उप सचिव	—सदस्य
(iii) अवर सचिव	—सदस्य
(iv) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अवर सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी	—सदस्य

1	2	3	4	5	6
7. आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	* तीन (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)
					टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।)

7	8	9
लागू नहीं होता	आवश्यक : (क) (i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।	लागू नहीं होता

(ii) आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति और अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति।

वांछनीय :

(i) कंप्यूटर का ज्ञान

10	11	12
दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

13

14

पुष्टि के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति

लागू नहीं होता।

- (i) संयुक्त सचिव (अध्यक्ष)  
(ii) उप सचिव  
(iii) अवर सचिव  
(iv) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अवर सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी

1	2	3	4	5	6
9. उच्च श्रेणी लिपिक	* चार (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपरिभ्रत अनुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

10	11	12
----	----	----

लागू नहीं होता

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति :

3050-4590 रु. के वेतनमान में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।

प्रतिनियुक्ति/आमेलन :

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।

टिप्पणी 1 :—

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 2 :—

अर्हता (अर्हताएं) अन्यथा सुआर्हित अभ्यर्थी की दशा में विभागीय प्रोन्नति समिति के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है/ सकती हैं।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
(i) संयुक्त सचिव (अध्यक्ष)	
(ii) उप सचिव	
(iii) अवर सचिव	
(iv) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अवर सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी	

1	2	3	4	5	6	7
11. स्टाफ कार्ड्स	* 10 (2006)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।	नहीं (सामान्य श्रेणी)
	1. सामान्य श्रेणी	यथोक्त				
	3.**	अराजपत्रित अननुसचिवीय यथोक्त				
	2. श्रेणी-II	यथोक्त	4000-100-6000 रु.	2. अचयन	2. लागू नहीं होता	
	3.**					
	3. श्रेणी-I	यथोक्त	4500-125-7000 रु.	3. अचयन	3. लागू नहीं होता	
	3.**					
	4. विशेष श्रेणी	यथोक्त	4500-150-8000 रु.	3. अचयन	3. लागू नहीं होता	
	1.**					

\* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

\*\* विभिन्न श्रेणियों में पदों की संख्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 43019/54/96-स्था. (डी) तारीख 15 फरवरी, 2001 के अनुसार भरी जाएगी।

1. सामान्य श्रेणी	30 प्रतिशत
2. श्रेणी-II	30 प्रतिशत
3. श्रेणी-I	35 प्रतिशत
4. विशेष श्रेणी	5 प्रतिशत

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि पर विचार करने के लिए )	लागू नहीं होता
(i) संयुक्त सचिव (अध्यक्ष)	
(ii) उप सचिव	
(iii) अवर सचिव	
(iv) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अवर सचिव की पंक्ति का एक अधिकार	
2. यथोक्त	2. यथोक्त
3. यथोक्त	3. यथोक्त
4. यथोक्त	4. यथोक्त

1.	2	3	4	5	6	7
12. फोटोकापी करने वाला आपरेटर	*एक (2006) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2610-60-2910-65-3300-70-4000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)	<p>प्रोन्नति : ऐसे दफ्तरी/जमादार जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और जो फोटोकापी मशीन चलाने और उसके रखरखाव में प्रवीण है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन :</p> <p>केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;</p> <p>या</p> <p>(ii) जो 2610-3540/2550-3200 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर कम से कम दो/चार वर्ष से पदधारण किए हुए हैं और फोटोकापी मशीन चलाने की और उसके रखरखाव में प्रवीण हैं।</p> <p>(टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>

13	14
पुष्टि के लिए समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
(i) अवर सचिव (अध्यक्ष)	
(ii) प्रशासनिक अधिकारी	
(iii) अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	



1	2	3	4	5	6	7
15. चपरासी	* 9 (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित अननुसचिवीय	2550-55- 2660-60- 3200 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)	लागू नहीं होता
					टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्य- र्थियों के लिए विहित की गई हैं।)	
	8			9		10
आवश्यक :				लागू नहीं होता		दो वर्ष
आठवीं कक्षा उत्तीर्ण						
वांछनीय :						
होमगार्ड और सिविल रक्षा में "बुनियादी" और पुनश्चर्यों पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण						
	11					12
सीधी भर्ती द्वारा						लागू नहीं होता
	13					14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के लिए (i) अवर सचिव (अध्यक्ष) (ii) प्रशासनिक अधिकारी (iii) अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग						लागू नहीं होता

6

टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

8	9	10
आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष
11	12	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	
13	14	
पुष्टि के लिए समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति		लागू नहीं होता
(i) अवर सचिव (अध्यक्ष)		
(ii) प्रशासनिक अधिकारी		
(iii) अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग		

1	2	3	4	5	6	7
18. सवार हरकारा	1* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	3050-75- 3950-80- 4590 रु.	चयन-सह- ज्येष्ठता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष क की जा सकती है।	लागू नहीं होता
					टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो	

## MINISTRY OF MINORITIES AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2006

**G.S.R. 255(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 15 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules and regulating the method of recruitments to various Group 'C' and 'D' posts in the National Commission for Minorities, namely :—

**1. Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the National Commission for the Minorities (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules 2006.

(2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of Posts, Classification and Scale of Pay.**—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of Recruitment, age-limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**4. Initial Constitutions.**—(1) The personnel holding the posts on regular basis, before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel mentioned the sub-rule (1) prior to the posts at the initial constitution shall count for the purpose of probation period, qualifying service for Promotion, confirmation and pension in the service.

**5. Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**Recruitment Rules for various Group 'C' and 'D' posts in  
the National Commission for Minorities**

**SCHEDULE**

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-selection Post	Age limit for direct Recruits
1	2	3	4	5	6
1. Assistant	*Three (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5000- 150-8000	Non-selection	Not applicable

**Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those who living in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu & Kashmir Lahaul & Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
Not applicable	Master degree of a recognized University in Hindi/English with English/Hindi as a main subject at degree level. OR Master degree of a recognized University in any subject with Hindi and English as main subjects at degree level. OR Master degree of a recognized University in any subject with Hindi/English medium, and English/Hindi as a main subject a degree level. OR Master degree in Hindi/English or in any other subject with Hindi/English medium, with English/Hindi as a main subject or a medium of examination at degree level. OR Bachelor's degree with Hindi and English as main subjects or either of the two a medium of examination and the other as a main subject plus recognized Diploma Certificate course in translation from Hindi to English and <i>vice versa</i> or two years' experience of translation work from Hindi to English and <i>vice versa</i> in Central/ State Government offices, including Government of India undertaking.	Not applicable	Two years.
11 Direct Recruitment			12 Not applicable
13 Group 'C' Departmental Promotional Committee for confirmation :	(i) Joint Secretary —Chairman (ii) Deputy Secretary —Member (iii) Under Secretary —Member (iv) One officer of the rank of the Under Secretary from the Ministry of Minority Affairs.		14 Not Applicable

13			14		
<b>Group 'C' Departmental Promotional Committee for confirmation :</b>			Not applicable.		
(i)	Joint Secretary	— Chairman			
(ii)	Deputy Secretary	— Member			
(iii)	Under Secretary	— Member			
(iv)	One officer of the rank of the Under Secretary from the Ministry of Minority Affairs.	— Member			
1	2	3	4	5	6
4. Steno Grade 'C'	Two *(2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Rs.5000-150-8000	Non-selection	Not applicable
7	8	9		10	
Not applicable	Not applicable	Not applicable		Not applicable	
11			12		
By promotion failing which by deputation (including short-term contract).			<b>Promotion :</b> Stenographers Grade 'D' in the scale of Rs. 4000—6000 with five years regular service in the grade. <b>Deputation :</b> Persons working under the Central Government : (i) holding analogous posts on regular basis or (ii) with five years regular service as Steno. Grade 'D' in the scale of Rs. 4000—6000 <b>Note 1 :</b> —Period of deputation including period of deputation in other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum limit for appointment by deputation (including short-term contract)/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of the application. <b>Note 2 :</b> —The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Departmental Promotional Committee if the candidate is otherwise well qualified.		

13			14		
<b>Group 'C' Departmental Promotional Committee :</b>			Not applicable.		
(i)	Joint Secretary	— Chairman			
(ii)	Deputy Secretary	— Member			
(iii)	Under Secretary	— Member			
(iv)	One officer of the rank of the Under Secretary from the Ministry of Minority Affairs.	— Member			

1	2	3	4	5	6
6. Research Assistant	*Three (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time.  <b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir, Lahaul & Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).

7	8	9	10
Not applicable	<b>Essential :—</b> (i) Bachelor's Degree (preferably Hons.) in Social Sciences/ Law/Statistics. (ii) Two years' experience of Research assistance in Govt. Deptt. or any organisation of repute. <b>Desirable : Degree in Law.</b> (One Post : Knowledge of Urdu Essential). <b>Note :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Selection Committee if in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years

11	12
Direct recruitment failing which by deputation/absorption	<b>Deputation/Absorption :</b> Persons working under the Central Government/State Government offices including Public Undertakings :— (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or, (ii) With five years regular service in the scale of Rs. 4000-6000; and, (b) Possessing the educational and other qualification as required for Direct Recruits under column 8. <b>Note 1 :—</b> Period of deputation including period of deputation in other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum limit for appointment by deputation (including short-term contract)/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of the application. <b>Note 2 :—</b> The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Departmental Promotional Committee if the candidate is otherwise well qualified.

1	2	3	4	5	6	7
8. Steno-grapher (Urdu)	*One (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Rs.4000-100-6000	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time.	Not applicable
					<p>Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date from receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those who living in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu &amp; Kashmir, Lahaul &amp; Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman &amp; Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	
					9	10
					Not applicable	Two years
<b>Essential :</b>						
(a)	(i)	Matriculation or equivalent.				
	(ii)	A speed of 80 w.p.m. in Stenography in Urdu and Typing speed of 25 w.p.m. in Urdu and 30 w.p.m. in English.				
<b>Desirable :</b>						
Knowledge of Computer.						
					11	12
					Direct recruitment	Not Applicable
					13	14
					Not Applicable.	
<b>Group 'C' Departmental Promotional Committee for confirmation</b>						
(i) Joint Secretary		— Chairman				
(ii) Deputy Secretary		— Member				
(iii) Under Secretary		— Member				
(iv) One officer of the rank of the Under Secretary from the Ministry of Minority Affairs.		— Member				
1	2	3	4	5	6	7
9. Upper Division Clerk	*Four (2006) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted Ministerial	Rs.4000-100-6000	Not applicable	Not applicable	Not applicable

8	9	10
Essential:— (a) (i) Matriculation or equivalent. (ii) Typing speed of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi Desirable: (i) Knowledge of Computer. Note : For one post of LDC typing speed of 25 w.p.m. in Urdu essential.	Not applicable	Two years

11	12
(i) 90% by direct recruitment and (ii) 10% by Promotion from amongst Group 'D' employees of National Commission for Minorities failing which by deputation/absorption.	Promotion : Group 'D' staff of National Commission for Minorities having five years, regular service in the scale of Rs. 2610-4000 and possessing qualification as required for direct recruit.

13	14
Group 'C' Departmental Promotional Committee:— (i) Joint Secretary (ii) Deputy Secretary (iii) Under Secretary (iv) One officer of the rank of the Under Secretary from the Ministry of Minority Affairs	Not Applicable — Chairman — Member — Member — Member

1	2	3	4	5	6	7
11. Staff Car Driver	*10(2006)	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted Ministerial	Rs.3050-75- 3950-80- 4590	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time.	No (Ordinary grade)
(1) Ordinary Grade 3**	—do—	1. Rs. 3050-75- 3950-80-4590	1. Not applicable	1. Not applicable	Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those who living in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu & Kashmir, Lahaul & Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshdeep).	
(2) Grade-II 3**	—do—	2. Rs. 4000-100- 6000	2. Not applicable	2. Non-selection		



11

12

		experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up-to-date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).
(2) By promotion after having put in regular service of nine years in Ordinary Grade	(B) By promotion after nine years' regular service in Ordinary Grade and subject to passing of a Trade Test of appropriate standard.	
(3) By promotion after having put in regular service of six years in Grade-II	(C) By promotion after six years' regular service in the Grade II or a combined service of 15 years in Grade-II and in Ordinary grade put together, and subject to passing of a Trade Test of appropriate standard.	
(4) By promotion after having put in regular service of three years in Grade-I	(D) By promotion after three years' regular service in the Grade-I and subject to passing of a trade Test of appropriate standard	

13

14

**Group 'C' Departmental Parliament Committee  
(for considering confirmation)**

Not applicable.

(i) Joint Secretary	—Chairman
(ii) Deputy Secretary	—Member
(iii) Under Secretary	—Member
(iv) One officer of the rank of Under Secretary from Ministry of Minority Affairs	—Member
(2) —do—	—do—
(3) —do—	—do—
(4) —do—	—do—

1	2	3	4	5	6	7
12. Photo-copier Operator	*1 (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'D', Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

8

9

10

Not applicable

Not applicable

Not applicable

11

12

By Promotion failing which by deputation/absorption (including Short-term Contract).

**Promotion :**

Daftaries/Jamadars with three years' regular service in the grade and having proficiency in operating and maintaining photocopier machines.

8	9	10				
Not applicable	Not applicable	Not applicable				
11	12					
By Promotion	<b>Promotion :</b> Peons in the National Commission for Minorities who have rendered at least two years regular service in the Grade.					
13	14					
<b>Group 'D' Departmental Promotional Committee</b>		Not applicable.				
(i) Under Secretary	— Chairman					
(ii) Administrative Officer	— Member					
(iii) Section Officer, National Commission for Scheduled Castes	— Member					
1	2	3	4	5	6	7
15. Peon	*9 (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'D', Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time.	Not applicable
<p><b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those who living in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu &amp; Kashmir, Lahaul &amp; Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman &amp; Nicobar Islands or Lakshdeep).</p>						

8		9		10		
5th Class Pass.		Not applicable		Two years.		
11		12				
Direct Recruitment.				Not applicable.		
13		14				
Group 'D' Departmental Promotional Committee for confirmation :				Not Applicable		
(i) Under Secretary		—Chairman				
(ii) Administrative Officer		—Member				
(iii) Section Officer, National Commission for Scheduled Castes		—Member				
1	2	3	4	5	6	7
17. Library Attendant	*1 (2006) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'D', Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not-applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with instructions or orders issued by the the Central Government from time to time.	Not applicable
					<p><b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those who living in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu &amp; Kashmir, Lahaul &amp; Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman &amp; Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	
8		9		10		
Essential : 8th Standard Pass.		Not applicable		Two years.		

**Note :** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

11	12
Promotion/Députation/Absorption (including short-term contract) failing which by Direct Recruitment.	<p><b>Promotion :</b> “Group D” staff of the National Commission for Minorities possessing the requisite qualification for Direct Recruits as stated in column 8.</p> <p><b>Deputation/Absorption :</b> Persons holding analogous or equivalent posts possessing the requisite qualifications prescribed for direct recruits.</p>
13	14
<p><b>Group ‘D’ Departmental Promotional Committee for confirmation :</b></p> <p>(i) Joint Secretary —Chairman</p> <p>(ii) Under Secretary. —Member</p> <p>(iii) Administrative Officer —Member</p> <p>(iv) One officer of the rank of Under Secretary from the Ministry of Minority Affairs. —Member</p>	Not Applicable

[F. No. 3-1/2002-MC(D)]  
G.N. PEGU, Jt. Secy.